तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमाराम बंजारा पुत्र श्री मंगलाराम बंजारा मु.पो. चोटिला, तह. रोहट, पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 63/2021 जीसीएमएस नं. :– 2021/225 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/2/22	1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 15.06.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी रोहट से चाही गई थी। उक्त आवेदन पत्र विकास अधिकारी रोहट द्वारा उक्त वांछित सूचना उनसे संबंधित नहीं होने से जिला निर्वाचन अधिकारी पाली को जरिये पत्रांक 9829 दिनांक 16.06.2021 को अन्तरित की गई थी। परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./2021/1779 दिनांक 12.11.2021 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) पाली द्वारा जरिये पत्रांक/ निर्वाचन/आर.टी.आई./2021/574 दिनांक 13.07.2021 के उनको उपलब्ध करवाने पर उनके द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./विविध/2021/1209 दिनांक 31.08.2021 के जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित कर उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	